

लय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ओरिया  
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प चान्दरख ओरिया)  
 आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पटवारी चान्दरख

व पू.अ.नि नर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार —

नायब तहसीलदार ओरिया की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान पू.राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चान्दरख तहसील ओरिया व

जिला जोधपुर की जमाबन्दी सन्वत् 2073-2076 में खाता संख्या 269

में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	चान्दरख	269	<del>मलुराम श/०</del> <del>मोतीराम</del> <del>शेषवदर</del>	मानाराम श/० मोतीराम शेषवदर

*(Signature)*  
पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा. कलक्टर

दिनांक :-

क्रमांक :-

रिक्तिनिधि :-

तहसीलदार ओरिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामदा शीघ्र  
 किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

प्रार्थी भी मानाराम श/० मोतीराम को सूचनाएं।

रक्षित पत्रावली जोर  
वि उमादेसर

*(Signature)*  
पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर